

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-2/आर०-192/2023-

/स्वा०, पटना, दिनांक

डॉ० विजय कुमार चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, मारुफगंज, पटना के दिनांक-20.12.2022 से 09.03.2026 तक प्रभार रहित अवधि को निम्नरूपेण विनियमित किया जाता है :-

(i)	दिनांक-20.12.2022 से 19.12.2025 तक (कुल-1096 दिन)	-	अध्ययन अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में। (विभागीय अधिसूचना संख्या-2045(2) दिनांक-30.11.2011 के आलोक में)
(ii)	दिनांक-20.12.2025 से 21.12.2025 तक (कुल-02 दिन)	-	सप्ताहिक अवकाश के रूप में।
(iii)	दिनांक-22.12.2025 से 09.03.2026 तक (कुल-78 दिन)	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा (मुख्यालय) अवधि के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/आर०-192/2023- 2145 (2) /स्वा०, पटना, दिनांक : 21/12/2023
प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, मारुफगंज, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/डॉ० विजय कुमार चौधरी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, मारुफगंज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Mamun Khan
सरकार के उप सचिव।